



2026:AHC: 126149-DB

13.04.2026 को आदेश सुरक्षित

08.06.2026 को आदेश पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 3488/2005

फारुख

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : ए.सी. श्रीवास्तव, मणि शंकर पांडेय, मनीष तिवारी,  
पुष्पेंद्र सिंह, एस.के. पांडेय, समित गोपाल, समित  
गोपाल (पदोन्नत), सौरभ यादव  
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार निगम, शासकीय अधिवक्ता, सत्य  
निवास प्रसाद

---

और 1 संबंधित वाद

चैम्बर में

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी

(माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ यादव; सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार निगम; राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री प्रेम शंकर प्रसाद को सुना तथा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विचारण न्यायालय के अभिलेख और विचारण न्यायालय के निर्णय एवं आदेश का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आपराधिक अपीलें अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट-द्वितीय, बांदा द्वारा सत्र विचारण संख्या 161 वर्ष 2003 (राज्य बनाम फीमा और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.07.2005 के विरुद्ध दाखिल की गई हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 1,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडादिष्ट किया गया। उन्हें धारा 324 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत भी दोषसिद्ध किया गया और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। अर्थदंड के भुगतान में व्यतिक्रम होने पर, उन्हें अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया। दोनों सजाओं को साथ-साथ चलने का आदेश दिया गया।

3. अभियोजन का मामला, संक्षेप में, इस प्रकार है: 25-11-2002 को, शिकायतकर्ता-उबैद खान पुत्र हनीफ खान, निवासी ग्राम गोयरा, थाना- मटौंध, जिला बांदा-ने कोतवाली नगर थाना, बांदा में प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। इस रिपोर्ट में उसने कहा कि घटना की तिथि, 25-11-2002 को, वह अपने बड़े भाई जमील, अली हुसैन और जब्बार के साथ अपनी जीप में बांदा बाजार गया था। छावनी चौराहे पर जीप खड़ी करने के बाद, और डिल्हागंज में लल्लू की आढ़त पर अनाज बेचने का सौदा तय करने के पश्चात, वे दोपहर लगभग 2:15 बजे अपनी जीप की ओर वापस लौट रहे थे। उसी क्षण, महजर के पुत्र फीमा और फारूक, जो उसी गांव के निवासी हैं और जिनके साथ शिकायतकर्ता की पुरानी दुश्मनी थी-पंजीकरण संख्या यूपी-90 2772 वाली राजदूत मोटरसाइकिल पर आए। जान से मारने के आशय से, उन्होंने अपने हाथों में लिए देशी तमंचों से शिकायतकर्ता के भाई, जमील पर गोलियां चला दीं। गोलियां जमील की छाती के बायीं ओर और उसकी बांह में लगीं, जिससे उसे चोटें आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। पास में उपस्थित एक अन्य व्यक्ति को भी चोटें आईं। गोली चलने की आवाज सुनकर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण अभियुक्त अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर घटनास्थल से भाग गए। जमील को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद, शिकायतकर्ता रिपोर्ट दर्ज कराने और उचित विधिक कार्रवाई करने के लिए पहुंचा। लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) के आधार पर और कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में 25.11.2002 को 16:30 बजे दर्ज रिपोर्ट संख्या 43 के अनुसरण में, अभियुक्तों के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 दर्ज किया गया।

4. मामले की विवेचना उप-निरीक्षक सभापति यादव को सौंपी गई। 28.11.2002 को, कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में 18:25 बजे दर्ज रिपोर्ट संख्या 34 के माध्यम से, श्री आर.के. उपाध्याय (थानाध्यक्ष, मटौंध) ने सूचित किया कि मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 धारा 307 के अंतर्गत उल्लिखित घायल पीड़ित की कानपुर के एक अस्पताल में चोटों के कारण मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम परीक्षण के पश्चात 27.11.2002 को शव को गांव गोयरा लाया गया—जहां अंतिम संस्कार पहले ही किया जा चुका था। परिणामस्वरूप, मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 को धारा 307 से धारा 302 में परिवर्तित कर दिया गया। 29-11-2002 को, हेड मोहरिर अकील अहमद ने मृतक जमील के खून से सने कुर्ते के संबंध में फर्द तैयार किया, जिसकी प्रविष्टि कोतवाली नगर, बांदा थाना की सामान्य डायरी में दिनांक 29-11-2002 को 10:15 बजे रिपोर्ट संख्या 28 पर की गई, जिसमें दर्ज किया गया कि कुददुस खान, अली हुसैन, शमीम और जब्बार निवासी ग्राम गोयरा, थाना- मटौंध, जिला- बांदा उपस्थित हुए। मृतक जमील का खून से सना कुर्ता दाखिल किया गया, जिसे सील कर मुहर लगाई गई, और घायल जमील का चिकित्सकीय परीक्षण 25-11-2002 को 2:45 बजे किया गया जब उसे सरकारी अस्पताल, बांदा लाया गया था, और घायल जमील (मृतक) को 25-11-02 को भर्ती किया गया। संतोष द्विवेदी का चिकित्सकीय परीक्षण 25-11-02 को दोपहर 3:00 बजे किया गया। स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन, कानपुर नगर में मृतक जमील की मृत्यु की सूचना मिलने पर, उप-निरीक्षक हरिशंकर अपने कांस्टेबलों के साथ एल.एल.आर. पुलिस चौकी, कानपुर नगर पहुंचे। वहां से पंचायतनामा से संबंधित दस्तावेज एकत्र करने के बाद, वह कांस्टेबल रामलखन के साथ मुर्दाघर पहुंचे और 26.11.2002 को मृतक जमील के शव का पंचायतनामा तैयार किया, शव का फोटो तैयार किया और पोस्टमार्टम परीक्षण के संबंध में चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर को संबोधित एक पत्र तैयार किया, नमूना सील तैयार की और पुलिस फॉर्म संख्या 33 भरा। रिजर्व इंस्पेक्टर ने चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर को संबोधित पत्र तैयार किया था। 27-11-02 को, एस.एच.डी. अस्पताल, कानपुर नगर में मृतक के शव का पोस्टमार्टम किया गया। 10-12-02 को, वरिष्ठ उप-निरीक्षक ने अपराध संख्या 661/02 धारा 307, 302 से संबंधित घटनास्थल का निरीक्षण किया और नक्शा-नजरी तैयार किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. 10-12-2002 को, प्रभारी निरीक्षक श्री वी.के. श्रीवास्तव-अपनी टीम के साथ जिसमें कांस्टेबल दिनेश सिंह, राजमन सिंह, सभाजीत सिंह और सी.पी. प्रताप सिंह शामिल थे, और राजनारायण मिश्रा द्वारा चलाई जा रही एक सरकारी जीप में यात्रा करते हुए-सुबह 9:35 बजे पुलिस स्टेशन से रवाना हुए। बांदा तहसील में 'तहसील दिवस' की कार्यवाही के संबंध में अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद, वह अलीगंज पुलिस चौकी पहुंचे। वहां, उन्हें एक मुखबिर से गुप्त सूचना मिली कि जमील प्रधान की हत्या में शामिल फीमा नाम का एक अभियुक्त केवतरा चौराहे से भूरागढ़ की ओर जा रहा है, और उसके पास एक देशी पिस्तौल है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए, उन्होंने विवेचना में लगे वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री राम शंकर को बुलाया। विवेचना अधिकारी चौकी पर पहुंचे। विवेचना अधिकारी को उद्देश्य से अवगत कराया गया। एक-दूसरे की जामा तलाशी लेने के बाद, यह पुष्टि की गई कि उपस्थित किसी भी व्यक्ति के पास कोई अवैध वस्तु नहीं है। मुखबिर के साथ, टीम उसके द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ी; केवतरा चौराहे पर जीप खड़ी करने के बाद, वे 'बच्चा जेल' की ओर जाने वाली सड़क से ठीक पहले एक स्थान पर पहुंचे। इस बिंदु पर, मुखबिर ने संदिग्ध की ओर इशारा किया और फिर चला गया। उक्त व्यक्ति को वहीं-बच्चा जेल रोड तिराहे से लगभग 25 कदम पश्चिम की ओर, सड़क के किनारे-लगभग 7:45 बजे पकड़ लिया गया।

6. गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने अपनी पहचान फीमा, पुत्र महजर, निवासी गोयरा मुगली, थाना मटौंध, जिला बांदा के रूप में बताई। तलाशी लेने पर उसके दाहिने हाथ में एक 12 बोर का देशी तमंचा मिला, और उसकी पैंट से एक 12 बोर का खाली खोखा तथा एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। देशी तमंचे को खोलने और निरीक्षण करने पर, उसके अंदर 12 बोर का एक कारतूस लोड पाया गया, जिसे बाद में निकाल लिया गया। जब उससे तमंचे और कारतूस का लाइसेंस पेश करने को कहा गया, तो वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। उसने खुलासा किया कि वह भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दर्ज मामले में नामजद अभियुक्त है। उसने आगे बताया कि अपने गांव के निवासी जमील के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी है; 25-11-02 को दोपहर 2:15 बजे उसने इसी देशी तमंचे से जमील प्रधान को गोली मारी थी, जबकि उसके भाई फारूक ने .315 बोर के देशी तमंचे का उपयोग करके उस पर गोली चलाई थी। वे दोनों एक मोटरसाइकिल पर घटनास्थल से भाग गए और बाद में एक संकरी गली से होकर निकल गए। तत्पश्चात, अस्पताल में जमील की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चोटों के कारण मृत्यु हो गई। उसने पुष्टि की कि यह वही देशी तमंचा है जिसका उपयोग उस घटना में किया गया था, और चला हुआ खोखा भी उसी घटना का मूल खोखा है। उसने आगे कहा, "मुझे विरोधी पक्ष से खतरा है; इसलिए, मैं अपनी सुरक्षा के लिए यह तमंचा रखता हूँ।" इस कृत्य को आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध मानते हुए, बरामद देशी तमंचा, कारतूस और चले हुए खोखे को गवाहों की उपस्थिति में एक कपड़े में सील कर मुहर लगाई गई। घटनास्थल पर जमा हुए दर्शक, स्थिति से डरकर, आगे आने और गवाही देने से मुकर गए। मौके पर ही उप-निरीक्षक राम शंकर को फर्द बोलकर लिखवाई गई और टॉच की रोशनी में दर्ज की गई; पूरा होने पर, फर्द की एक प्रति अभियुक्त को सौंप दी गई। अभियुक्त और जब्त किए गए माल को एक साथ पुलिस स्टेशन लाया गया। बरामदगी फर्द और रिपोर्ट संख्या 60 (दिनांक 10.12.02 समय 21:40 बजे) के आधार पर, कोतवाली नगर पुलिस स्टेशन में अभियुक्त फीमा के विरुद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 693/02 दर्ज किया गया। प्रकरण की विवेचना उप-निरीक्षक श्री बी.डी. वर्मा को सौंपी गई। विवेचना पूरी होने पर, उन्होंने 17.01.2003 को जिलाधिकारी, बांदा से अभियोजन के लिए स्वीकृति प्राप्त की। उन्होंने 13.12.2002 को नक्शा-नजरी तैयार किया। 27.12.2002 को, आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अभियुक्त फीमा के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया।

7. मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 में विवेचना के समापन पर, विवेचना अधिकारी ने अभियोजन अभिलेख संकलित किए; तत्पश्चात, वी.के. श्रीवास्तव, एस.एस.ओ., कोतवाली नगर, बांदा—जिन्होंने बाद के विवेचना अधिकारी के रूप में कार्य किया—ने 23-2-2003 को धारा 302 और 307 के अंतर्गत अभियुक्त फीमा के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया। 26-9-2003 को श्री सतीश चंद्र शर्मा ने धारा 302/34 और 307/34 के अंतर्गत अभियुक्त फीमा के विरुद्ध आरोप विरचित किए। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग की।

8. अभियोजन की ओर से, अभियोजन गवाह-1 उबैद खान, अभियोजन गवाह-2 अली हुसैन, अभियोजन गवाह-3 ननके सिंह, अभियोजन गवाह-4 हेड कांस्टेबल अकील अहमद, अभियोजन गवाह-5 डॉ. ए.के. सिंह, अभियोजन गवाह-6 कुददुस खान, अभियोजन गवाह-7 उप-निरीक्षक हरिशंकर, अभियोजन गवाह-8 डॉ. डी.एस. मिश्रा, अभियोजन गवाह-9 श्री रामशंकर, अभियोजन गवाह-10 वी.के. श्रीवास्तव, अभियोजन गवाह-11 कांस्टेबल सभाजीत सिंह, अभियोजन गवाह-12

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कांस्टेबल दिनेश सिंह और अभियोजन गवाह-13 भगवानदास वर्मा के बयान दर्ज किए गए। अभियोजन गवाह-1 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट की लिखित शिकायत (तहरीर) को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया; अभियोजन गवाह-3 ननके सिंह ने अपराध संख्या 661/2002 के संबंध में 'चिक' प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क-2 के रूप में, और मामला दर्ज करने के संबंध में सामान्य डायरी प्रविष्टि की प्रति को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया। अभियोजन गवाह-4 कांस्टेबल अकील अहमद ने मामले (संख्या 661/02) को धारा 307 से धारा 302 में परिवर्तित करने के संबंध में दिनांक 28-11-02 की सामान्य डायरी प्रविष्टि की प्रति को प्रदर्श क-4 के रूप में; खून से सने कुर्ते के संबंध में फर्द को प्रदर्श क-5 के रूप में; उक्त कुर्ते के उल्लेख को दर्ज करने वाली सामान्य डायरी प्रविष्टि की प्रति को प्रदर्श क-6 के रूप में; और रिपोर्ट संख्या 60 दिनांक 10-12-02 के रूप में सामान्य डायरी प्रविष्टि की प्रति को प्रदर्श क-7 के रूप में साबित किया। अभियोजन ने आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अपराध संख्या 693/02 से संबंधित बरामदगी फर्द प्रदर्श क-8 को साबित किया, अभियोजन गवाह-5 डॉ. ए.के. सिंह ने घायल जमील की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श क-9), मूल बेड-हेड टिकट (प्रदर्श क-10), प्रदर्श क-11, और संतोष की चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श क-12) को साबित किया। अभियोजन गवाह-7 उप-निरीक्षक हरिशंकर सोनी ने पंचायतनामा साबित किया, जिसे प्रारंभ में प्रदर्श क-12 के रूप में चिह्नित किया गया था लेकिन बाद में इसे प्रदर्श क-12ए के रूप में पुनः क्रमांकित किया गया। उन्होंने मृतक जमील के संबंध में सूचना फर्द (प्रदर्श क-13), शव का फोटो (प्रदर्श क-14), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-15), नमूना मुहर (प्रदर्श क-16) और शव का चालान (प्रदर्श क-17) साबित किया। उन्होंने रिजर्व इंस्पेक्टर द्वारा चिकित्सा अधिकारी को जारी पत्र (प्रदर्श क-18) भी साबित किया। अभियोजन गवाह-8 डॉ. वी.एस. मिश्रा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-19) साबित की; उप-निरीक्षक रामशंकर ने धारा 302 से संबंधित नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-20) साबित किया; और निरीक्षक वी.के. श्रीवास्तव ने धारा 302 से संबंधित आरोप-पत्र (प्रदर्श क-21), आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत फर्द (प्रदर्श क-22), देशी तमंचा (भौतिक प्रदर्श-1), जिंदा कारतूस (भौतिक प्रदर्श 2, 3, और 4), आंशिक रूप से भरा कारतूस (भौतिक प्रदर्श-5), और 12-बोर कारतूस के चार टुकड़े (भौतिक प्रदर्श-6,7,8 और 9) साबित किए। अभियोजन गवाह-13 उप-निरीक्षक भगवानदास ने आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-23), आयुध अधिनियम की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



धारा 25 के अंतर्गत आरोप-पत्र (प्रदर्श क-24), और अभियोजन के लिए स्वीकृति (प्रदर्श क-25) साबित की। (अस्पष्ट) प्रदर्श क-26 है।

9. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्तों के बयान दर्ज किए गए। घटना को झूठा बताते हुए, अभियुक्तों ने जोर देकर कहा कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और उन्हें झूठा फंसाया गया है; अपने बचाव में, अभियुक्तों ने सत्र विचारण संख्या 42/92 (जिला बांदा) के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ख-1 के रूप में, सत्र विचारण संख्या 89/95 (जिला बांदा) के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ख-2 के रूप में, और अपराध संख्या 66/89 से संबंधित 'चिक' प्रथम सूचना रिपोर्ट की फोटोकॉपी प्रस्तुत की। इसके अलावा, सत्र विचारण संख्या 71/91 (जिला बांदा) के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ख-3 के रूप में प्रस्तुत की गई, और कागज संख्या 120ख को प्रदर्श ख-4 के रूप में प्रस्तुत किया गया।

10. विरोधी दलीलों को सुनने और अभिलेख के परिशीलन के पश्चात, हम पाते हैं कि निर्धारण का विषय यह है कि क्या मृतक जमील की मृत्यु आग्नेयास्त्र से लगी गोली के घाव के परिणामस्वरूप हुई थी। इस बिंदु पर, अभियोजन गवाह-5, डॉ. ए.के. सिंह ने अपने बयान में कहा कि 25.11.2002 को, वह बांदा अस्पताल में तैनात था। उस दिन, दोपहर 2:45 बजे, घायल जमील—आयु 40 वर्ष, निवासी गोयरा मुंगली, थाना- मटौंध, जिला बांदा—को उसके भाई जब्बार द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अभियोजन गवाह-5 ने उसके तुरंत बाद चिकित्सकीय परीक्षण किया। उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

1. आग्नेयास्त्र के कारण बना एक प्रवेश घाव, जिसका आकार 3 सेमी x 1.5 सेमी था, बायीं बांह के ऊपरी और भीतरी हिस्से पर पाया गया और यह कंधे के जोड़ से 10 सेमी नीचे स्थित था। घाव के किनारे अंदर की ओर झुलसे हुए थे। कालापन मौजूद था। घाव के चारों ओर 12 सेमी x 10 सेमी का एक झुलसा हुआ क्षेत्र मौजूद था। चोट संख्या 2, चोट संख्या 1 का आर-पार घाव था।

2. आग्नेयास्त्र के कारण बना एक निकास घाव, जिसका आकार 2 सेमी x 2 सेमी था; इसके किनारे झुलसे हुए थे और बाहर की ओर मुड़े हुए थे। यह दाहिने कंधे से 2 सेमी नीचे, बायीं बांह के पिछले हिस्से पर स्थित था। यह चोट, चोट संख्या 1 के सापेक्ष एक आर-पार चोट थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. आग्नेयास्त्र के कारण बना एक प्रवेश घाव, जिसका आकार 3 सेमी x 2 सेमी था; इसके किनारे अंदर की ओर झुलसे हुए थे। यह बायीं निप्पल से 8 सेमी दूर, 2 बजे की स्थिति में स्थित था। यह छाती के बायीं ओर था; मैंने इसकी गहराई नहीं मापी।

11. अभियोजन गवाह-5 की राय में, इन सभी चोटों को निगरानी में रखा गया था। चोटों की प्रकृति गंभीर थी, और वे आग्नेयास्त्र के कारण हुई थीं। चोटें ताजी थीं। मरीज की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। परीक्षण के दौरान, अभियोजन गवाह-5 ने एक रिपोर्ट तैयार की। चोट रिपोर्ट के मूल रजिस्टर को अपने सामने रखकर, उसने छायाप्रति—जिसे प्रदर्श क-9 के रूप में चिह्नित किया गया—साबित की और, घायल व्यक्ति की गंभीर स्थिति को देखते हुए, उसे उन्नत उपचार के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।

12. के.पी.एम. अस्पताल, कानपुर के अभियोजन गवाह-8 डॉ. बी.एस. मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि 27.11.2002 को, वह एस.वी.डी. में चिकित्सा अधिकारी-प्रभारी के रूप में तैनात थे। उस दिन, अभियोजन गवाह-8 की ड्यूटी लाला लाजपत राय अस्पताल, कानपुर में पोस्टमार्टम परीक्षण करने के लिए लगाई गई थी। उक्त दिन, दोपहर 1:20 बजे, उन्होंने जमील खान—आयु 38 वर्ष, पुत्र हनीफ खान, निवासी गोयरा मुंगली, थाना- मटौंध, जिला बांदा—के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया, जिसे स्वरूप नगर थाना, कानपुर के कांस्टेबल राम लखन यादव द्वारा लाया गया था और स्वरूप नगर थाना, कानपुर शहर के थानाध्यक्ष द्वारा सीलबंद बंडल में भेजा गया था। पूर्वोक्त कांस्टेबल द्वारा शव की पहचान किए जाने, बंडल की मुहर तोड़ने और संलग्न पुलिस फॉर्मों का मिलान करने के बाद पोस्टमार्टम परीक्षण किया गया। ऊपरी बांहों में मृत्यु पश्चात की कठोरता कम हो गई थी लेकिन पैरों में अभी भी मौजूद थी। आंखें और मुंह बंद थे। पीठ के पूरे हिस्से और दोनों जांघों के निचले हिस्से पर मृत्यु पश्चात का नीलापन देखा गया। छाती के बायीं ओर के घाव को पट्टियों से पैक किया गया था। मृत्यु से पूर्व निम्नलिखित चोटें मौजूद थीं:

1. मांसपेशियों के ऊतकों की गहराई तक 1.5 सेमी x 1 सेमी का आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव, बायीं ऊपरी बांह के बाहरी पहलू पर, कंधे से 10 सेमी नीचे स्थित। इस घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे, और घाव के चारों ओर झुलसना मौजूद था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. मांसपेशियों के ऊतकों की गहराई तक 2 सेमी x 2 सेमी का आग्नेयास्त्र निकास घाव, दाहिनी ऊपरी बांह के भीतरी पहलू पर, कंधे से 10 सेमी नीचे स्थित। इस घाव के किनारे बाहर की ओर झुलसे हुए थे।

घाव संख्या 1 और 2 आंतरिक रूप से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे।

3. आग्नेयास्त्र प्रवेश घाव: छाती की गुहा में गहराई तक फैला हुआ 2 सेमी x 2 सेमी, छाती के बायीं ओर, बगल से 5 सेमी नीचे स्थित। घाव के किनारे अंदर की ओर मुड़े हुए थे। घाव के चारों ओर झुलसना मौजूद था।

4. सर्जिकल घाव (डॉक्टर द्वारा किया गया ऑपरेशन): छाती की गुहा में गहराई तक फैला हुआ 3 सेमी x 2 सेमी, छाती के बायीं ओर, पार्श्व मार्जिन से 11 सेमी नीचे स्थित।

13. आंतरिक परीक्षण में मस्तिष्क और उसकी झिल्लियां पीली दिखाई दीं; इसी तरह, दाहिने फेफड़े को छोड़कर सभी आंतरिक अंग पीले थे। बायां फेफड़ा और उसका प्लूरा फटा हुआ था। बाएं फेफड़े की गुहा के भीतर एक लीटर रक्त मौजूद था। हृदय के दोनों कक्ष खाली थे। मुंह में ऊपरी जबड़े में 16 दांत और निचले जबड़े में 16 दांत थे। आमाशय में 4 औंस पानी जैसा तरल पदार्थ था; गैस्ट्रिक म्यूकोसा सामान्य दिखाई दिया। पित्ताशय आधा भरा हुआ था, और मूत्राशय खाली था; अन्य सभी निष्कर्ष सामान्य थे। अभियोजन गवाह-8 की राय में, मृत्यु पूर्व में लगी आग्नेयास्त्र की चोट के कारण हुए अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हुई। अभिलेखों के अनुसार, मृतक की मृत्यु 26.11.2002 को दोपहर 12:25 बजे हुई। पोस्टमार्टम परीक्षण से लगभग 24 घंटे पूर्व इसके घटित होने का अनुमान है। पोस्टमार्टम परीक्षण के दौरान मृतक के शरीर से बरामद वस्तुओं को विधिवत पुलिस को सौंप दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रदर्शक-19 के रूप में चिह्नित किया गया।

14. पोस्टमार्टम रिपोर्ट, अभियोजन गवाह-5 और अभियोजन गवाह-8 के बयानों तथा चिकित्सा अभिलेखों के आधार पर, यह स्पष्ट है कि जमील को 25.11.2002 को आग्नेयास्त्र से चोटें आईं। परिणामस्वरूप, 26.11.2002 को कानपुर में जमील की इन चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

15. अब यह निर्धारित किया जाना शेष है कि क्या अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि जमील को गोली मारकर उसकी हत्या करने वाले अपीलकर्ता, फारुख और फीमा थे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



16. मामले के शिकायतकर्ता अभियोजन गवाह-1 उबैद खान ने अपनी मुख्य-परीक्षा में शपथ पर कहा है कि 25.11.2002 को, अभियोजन गवाह-1 उबैद खान, उसका भाई जमील, जब्बार, नफीस, अली हुसैन और महमूद एक जीप में बांदा आए थे। बांदा पहुंचने के बाद, गेहूं का भाव जानने के लिए ये लोग डिल्हागंज स्थित लल्लू (कमीशन एजेंट) की आदत पर गए। उस समय, 2:00-2:15 बजे थे। जब वे गेहूं का भाव पूछकर लौटे, तो अभियोजन गवाह-1 के गांव के फारुख और फीमा यूपी 90-2772 नंबर की मोटरसाइकिल से आए। दोनों लोगों ने जान से मारने के आशय से देसी तमंचे से जमील पर गोलियां चलाईं। जमील के बायीं छाती पर गोली लगी। गोली लगने के बाद, अभियोजन गवाह-1 उबैद खान ने शोर मचाया। जमील उस समय मौके पर गिर पड़ा था। गोली लगने के बाद जमील गिर पड़ा। लोगों ने अभियुक्तों का पीछा किया। अभियोजन गवाह-1 और अन्य लोग भाई जमील को अस्पताल ले गए; तब तक, जमील जीवित था। अभियोजन गवाह-1 और अन्य लोग वहां से गुजर रहे थानाध्यक्ष, गिरवां के वाहन में जमील को जिला अस्पताल, बांदा ले गए। जमील का बांदा अस्पताल में इलाज हुआ। उसी दिन, उसे कानपुर ले जाया गया। अभियोजन गवाह-1 कानपुर नहीं गया। रिपोर्ट गिरवां थाने के जमालपुर निवासी मोहम्मद रजा ने लिखी थी। रिपोर्ट बोलकर लिखवाई गई थी। फिर, उसे पढ़कर सुनाया गया और उस पर हस्ताक्षर प्राप्त किए गए, और उसे कोतवाली के उप-निरीक्षक को दे दिया गया। अभियोजन गवाह-1 उबैद खान ने घटनास्थल का निरीक्षण करवाया। प्रति-परीक्षा में कहा गया कि जमील को जिला अस्पताल में लगभग 2:45 बजे भर्ती कराया गया था जहां वह 4:30 बजे तक रहा। तत्पश्चात, उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। एंबुलेंस का किराया दिया गया था। मेरा भाई जब्बार एंबुलेंस लाने गया था। शमीम अभियोजन गवाह-1 के भाई का साला है। जब्बार, अली हुसैन, महमूद और शमीम जमील के साथ कानपुर गए थे। अभियोजन गवाह-1 नहीं गया। कागज कचहरी के पास एक मस्जिद के पास लिखा गया था। रजा हुसैन अस्पताल पहुंच गया था। रजा हुसैन गांव के नाते से अभियोजन गवाह-1 से संबंधित है। रिपोर्ट लिखने के बाद, 7:45 बजे प्रति प्राप्त हुई। जमील, जब्बार, कुददुस और उबैद खान चार भाई हैं जिनमें से जमील की मृत्यु हो गई। शमीम ने घटना देखी है। रसूला अली हुसैन का भाई है। इस घटना से पहले रसूला की हत्या हो चुकी है। अभियोजन गवाह-1 को नहीं पता था कि रसूला की हत्या में फारुख अभियुक्त था या नहीं। जमील की हत्या से पहले अभियोजन गवाह-1 के पिता हनीफ की हत्या हो गई थी। अभियोजन गवाह-1 को नहीं पता था कि उसके पिता की हत्या जमील की हत्या से कितने दिन पहले हुई थी। हनीफ की हत्या में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इदरीश पुत्र बदलू, फरहत पुत्र बदलू और शहजर शामिल थे और अभियोजन गवाह-1 को कोई जानकारी नहीं है। शहजर अभियुक्तों का पिता है। शहजर अभियुक्तों का चाचा है। शहजर के बेटे का नाम अजीत था। अजीत की हत्या 4.10.89 को हुई थी। अभियोजन गवाह-1 को नहीं पता था कि अभियुक्तों की दाई अर्थात् बरकत की हत्या हुई थी या नहीं। अभियोजन गवाह-1 नहीं जानता कि उसके पिता हनीफ मेहंदी, बरकत और भज्जी की हत्या में अभियुक्त थे या नहीं। अभियोजन गवाह-1 नहीं जानता कि गवाह अली हुसैन पुत्र नबी गिल्ला टिकिया तीन हत्याओं में अभियुक्त था या नहीं। शमीम अभियोजन गवाह-1 के भाई जमील का साला है। महमूद गांव के रिश्ते से मेरा भाई है। अली हुसैन भी अभियोजन गवाह-1 के भाई के समान है। अभियोजन गवाह-1 ने तहरीर में लिखा था कि शमीम और महमूद गांव से अभियोजन गवाह-1 के साथ एक जीप से बांदा आए थे। जमील को थानाध्यक्ष, गिरवां की जीप में अस्पताल ले जाया गया। जीप वहां से गुजर रही थी और उसे उसी के माध्यम से बांदा अस्पताल ले जाया गया। मैं इसका कारण नहीं बता सकता यदि उप-निरीक्षक ने यह तथ्य नहीं लिखा। अभियोजन गवाह-1 को उस दिन कुछ खरीदारी नहीं करनी थी लेकिन उसे भाई के साथ जाना था। अभियोजन गवाह-1 ने उप-निरीक्षक को बताया था कि वह गेहूं का भाव जानने के बाद लौट रहा था। मैं इसका कारण नहीं दे सकता यदि उप-निरीक्षक ने बयान में यह तथ्य नहीं लिखा। छावनी चौराहे से एक सड़क सब्जी मंडी की ओर जाती है और दूसरी पूर्व दिशा में मयूर टॉकीज की ओर जाती है। उत्तर में एक सड़क छतपतिया पेट्रोल पंप की ओर जाती है। एक सड़क डिल्हागंज की ओर जाती है। यदि कोई छावनी चौराहे से पश्चिम में डिल्हागंज की ओर आता है, तो डिल्हागंज में एक और चौराहा पड़ता है। इस चौराहे से एक सड़क माहेश्वरी देवी मंदिर की ओर जाती है। एक सड़क उत्तर में स्टेशन रोड की ओर जाती है। सड़क पूर्व में छावनी चौराहे और पश्चिम में डिल्हागंज की ओर जाती है। लल्लू की आढ़त (कमीशन एजेंट) के दक्षिण से किसी भी जीप की सवारी लाने का कोई रास्ता नहीं है। जिस स्थान पर जमील को गोली मारी गई थी, वह उत्तरी दरवाजे पर कमीशन एजेंट (आढ़त) के स्थान से 14-15 कदम दूर है। वह स्थान लल्लू के स्थान (आढ़त) के उत्तरी दरवाजे के दक्षिण की ओर पड़ता है। अभियुक्तों ने पूर्व से जमील पर गोलियां चलाई थीं। अभियुक्तों ने अभियोजन गवाह-1 के भाई अर्थात् जमील पर दक्षिण से गोली नहीं चलाई थी। अभियोजन गवाह-1 ने नक्शा-नजरी तैयार करते समय उप-निरीक्षक को वह स्थान दिखाया था जहां वह और अन्य गवाह खड़े थे। एक देसी तमंचा 12 बोर का था और दूसरा 315 बोर का था। मैं यह नहीं बता सकता कि कौन सा अभियुक्त

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



किस बोर का देसी तमंचा ले जा रहा था। फीमा ने पहले गोली चलाई थी। बाद में फारुख ने गोली चलाई और जैसे ही फीमा की गोली जमील को लगी, वह गिर पड़ा। बाद में फारुख ने गोली चलाई। फीमा मोटरसाइकिल पर पीछे बैठा था, फारुख वाहन चला रहा था। मोटरसाइकिल पर बैठकर गोली चलाई गई। अभियुक्त पश्चिम की ओर भाग गए थे। जैसे ही जमील को पहली गोली लगी, वह आँधे मुंह गिर पड़ा। जमीन पर खून बिखर गया था। घटना के समय, जमील ने सफेद कुर्ता, भूरी (कत्थई) सदरी, पायजामा और बनियान पहन रखी थी। सदरी और कुर्ते में छेद था। दीवान जी ने अभियोजन गवाह-1 का खून नहीं देखा। अभियोजन गवाह-1 को नहीं पता था कि जमील के अलावा किन लोगों को गोली लगी थी। मौके पर दो गोलियां चलाई गईं। दो गोलियों के अलावा कोई और गोली नहीं चलाई गई।

17. अभियोजन गवाह-2 अली हुसैन ने अपनी मुख्य-परीक्षा में अभियोजन की कहानी के प्रकाश में कहा कि 25.11.2002 को, अभियोजन गवाह-2, जमील का भाई उबैद खान, जब्बार और महमूद भी जमील के साथ जीप में थे। देव कुमार यादव के घर के सामने छावनी मार्ग पर जीप खड़ी करने के बाद ये लोग अनाज का भाव जानने के लिए लल्लू के स्थान (कमीशन एजेंट) पर गए और भाव पूछकर वापस लौट आए। जमील आगे था। अभियोजन गवाह-2 उसके पीछे था। अभियुक्त फीमा और फारुख पद्माकर चौराहे से मोटरसाइकिल से आए और जमील के सामने रुक गए। दोनों ने अपना देसी तमंचा निकाला और गोली चला दी। दोनों गोलियां जमील की छाती में लगीं। जमील गिर पड़ा। वहां अभियुक्तों का पीछा किया गया। अभियुक्त मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गए। वहां मौजूद संतोष दुबे को भी गोली लगने से चोट आई। जमील का भाई उबैद घटना की रिपोर्ट करने पुलिस स्टेशन गया। जमील की हालत गंभीर होने पर उसे बांदा से कानपुर रेफर कर दिया गया। जब गोली चली तब सवा दो बज रहे थे। इलाज के दौरान कानपुर के एक अस्पताल में जमील की मृत्यु हो गई। वहां पंचायतनामा और पोस्टमार्टम किया गया। बरकत फीमा और फारुख की दाई थी। उसकी हत्या कर दी गई और शमीम बानो घायल हो गई। शमीम बानो अभियुक्तों की बहन है। जमील उनकी हत्या और चोट पहुंचाने के मामले में अभियुक्त था। बरकत मेहंदी के मामले में अभियुक्त फारुख और शमीम बानो घायल गवाह थे। उन्होंने अभियोजन गवाह-1 के विरुद्ध गवाही दी थी और उसे सजा दिलवाई थी। यह कहना गलत है कि इसी कारण झूठी गवाही दी गई। अभियोजन गवाह-2 और मृतक जमील इदरीश की हत्या में अभियुक्त थे। इदरीश शहजर का साला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



है। अभियोजन गवाह-2, जमील, पप्पू, कुददुस और गिल्ला बरकत मेहंदी की हत्या में अभियुक्त थे और सभी को सजा सुनाई गई थी। अभियोजन गवाह-2 को मृतक जमील के साथ हत्या के दो अलग-अलग मामलों में फंसाया गया था। अभियोजन गवाह-2 घटना के दिन जमालपुर के किसी व्यक्ति से नहीं मिला, न बांदा अस्पताल में और न ही मेहंदी/मोहम्मद रजा से। जब जमील को गोली लगी, तो उसका मुंह दक्षिण की ओर था। जमील पर दो गोलियां चलाई गईं। पहली गोली उसकी छाती में लगी। पहली गोली लगने के बाद, जमीन पर गिर गया। दूसरी गोली उसके बाएं हाथ में लगी। जो गोली उसके हाथ में लगी वह आर-पार निकल गई। मैं संतोष को पहले से नहीं जानता था। अस्पताल पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि संतोष को भी गोली लगी है। संतोष जमील के उत्तर दिशा की ओर 3-4 अन्य लोगों के साथ खड़ा था। संतोष का भी आपातकालीन वार्ड में, जमील के बिस्तर के ठीक बगल वाले बिस्तर पर इलाज हुआ। घटना के दिन जमील को लगभग 4:30 बजे कानपुर भेजा गया था। फारुख मोटरसाइकिल चला रहा था। फीमा पीछे बैठा था।

18. अभियोजन गवाह-3 ननके सिंह ने धारा 307 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया और दर्ज मामले की रिपोर्ट संख्या 43 की प्रति भी साबित की और आगे कहा कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुकदमा अपराध संख्या 662/2002 को 661/2002 के रूप में संशोधित किया गया था।

19. अभियोजन गवाह-4, हेड कांस्टेबल अकील अहमद ने कहा कि - 28-11-2002 को, थानाध्यक्ष मटौंध के मौखिक निर्देशों पर, सामान्य डायरी संख्या 34 में 18:25 बजे, मुकदमा अपराध संख्या 661/02 की धारा 307 को धारा 302 में परिवर्तित किया जाता है, जिसे प्रदर्श क-4 के रूप में चिह्नित किया गया है। 29-11-2002 को अली हुसैन, शमीम, जब्बार निवासी गोयरा मुंगली, कुददुस खान के साथ पुलिस स्टेशन-मटौंध, बांदा आए। धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 में, कुददुस ने जमील का खून से सना सफेद कुर्ता पकड़ा हुआ था। इसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और फर्द तैयार किया गया तथा कुर्ते को सील कर मुहर लगाई गई। जिसे प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसे 29-11-02 को 15:10 बजे रिपोर्ट संख्या 38 में दर्ज किया गया था और सामान्य डायरी रिपोर्ट संख्या की प्रति प्रदर्श क-6 के रूप में चिह्नित की गई है। आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 693/2002

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



में, फर्द के आधार पर, श्री वी.के. श्रीवास्तव, थानाध्यक्ष, कोतवाली नगर, बांदा द्वारा एक चिक (प्रदर्श क-8) तैयार की गई थी और इसे 10-12-02 को 21:40 बजे रिपोर्ट संख्या 60 में दर्ज किया गया था। जिसकी कार्बन कॉपी को प्रदर्श क-7 के रूप में चिह्नित किया गया है।

20. अभियोजन गवाह-6 कुददुस खान ने कहा कि 29-12-02 को, वह शमीम, जब्बार और अली हुसैन के साथ मृतक जमील का खून से सना सफेद कुर्ता लेकर पुलिस स्टेशन-कोतवाली नगर, बांदा गया। जिसकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और उप-निरीक्षक द्वारा फर्द तैयार किया गया। धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 661/2002 से संबंधित एक सीलबंद बंडल गवाहों की उपस्थिति में खोला गया, जिसमें एक कुर्ता मिला, अभियोजन गवाह-6 ने इसे पहचाना और कहा कि इसे पुलिस स्टेशन में जमा किया गया था। प्रति-परीक्षा में यह कहा गया कि देसी तमंचा सीलबंद स्थिति में नहीं था, कारतूस भी खुली अवस्था में है, देसी तमंचा और कारतूस भी उसी बंडल में पाए गए जिसमें कुर्ता मिला था, जिन्हें न्यायालय के समक्ष खोला गया था। यह कहना गलत है कि कुर्ता, देसी तमंचा और कारतूस एक साथ सील किए गए थे।

21. अभियोजन गवाह-7, उप-निरीक्षक हरिशंकर सैनी ने कहा कि 26-11-02 को, वह पुलिस स्टेशन-स्वरूप नगर, कानपुर के अंतर्गत चौकी बेनाझाबर में चौकी प्रभारी के रूप में तैनात थे। 26-11-02 को, मृतक जमील पुत्र हनीफ निवासी गोयरा मुंगली, थाना मटौंध, जिला बांदा का पंचायतनामा कानपुर के अस्पताल के मुर्दाघर में तैयार किया गया था। वहां शव को बाहर निकाला गया और पंचों के सामने उसका परीक्षण किया गया। पंचायतनामा को प्रदर्श क-12 के रूप में चिह्नित किया गया। अभियोजन गवाह-7 को अस्पताल से मृतक जमील की मृत्यु सूचना (प्रदर्श क-13) प्राप्त हुई। शव का फोटो (प्रदर्श क-15), मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र (प्रदर्श क-15), नमूना मुहर (प्रदर्श क-16) और शव का चालान (प्रदर्श क-17) भी तैयार किए जाने की बात कही गई। 26-11-02 की रात को पुलिस स्टेशन पर अस्पताल से सूचना मिली, जो रात 2:30 बजे पुलिस स्टेशन की रिपोर्ट संख्या 5 में दर्ज है। 26-11-02 को सुबह 9 बजे चौकी बेनाझाबर में सूचना मिली। पंचायतनामा 10:30 बजे से 12 बजे के बीच तैयार किया गया था। रिजर्व इंस्पेक्टर ने जमील का पोस्टमार्टम कराने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर को पत्र (प्रदर्श क-18) साबित किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



22. अभियोजन गवाह-9, उप-निरीक्षक रामशंकर ने यह कहते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया कि 25-11-02 को मामला दर्ज किया गया और विवेचना सभापति यादव, उप-निरीक्षक, कोतवाली नगर, बांदा को सौंप दी गई। श्री सभापति के स्थानांतरण के बाद, विवेचना उप-निरीक्षक (अभियोजन गवाह-9) को सौंप दी गई। 26-11-02 को, चिक की प्रति, फर्द की प्रति और यूपी 90 2772 नंबर की मोटरसाइकिल, जिसे अभियुक्त भागते समय छोड़ गए थे, को कब्जे में ले लिया गया। अभियोजन गवाह-9 के अवकाश पर जाने के बाद, इस मामले का पर्चा संख्या 2 तैयार किया गया और उबैद खान का बयान दर्ज किया गया। तत्पश्चात, 10-12-02 को विवेचना शुरू की गई और शिकायतकर्ता की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। गवाह शमीम जब्बार का बयान दर्ज किया गया। 10-12-02 को अभियुक्त फीमा को गिरफ्तार किया गया और उसका बयान दर्ज किया गया। 12-12-02 को, खून से सने कुर्ते की प्रति की प्रविष्टि की गई। 22-12-02 को अली हुसैन और महमूद के बयान दर्ज किए गए। प्रति-परीक्षा में कहा गया कि फीमा को 10-12-02 को बाल सुधार गृह (बच्चा जेल) के पास तिराहे से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर भी पहुंचे। इंस्पेक्टर ने बुलाया था। मैंने उनके (इंस्पेक्टर) साथ मिलकर फीमा को शाम लगभग 7:45 बजे बाल सुधार गृह के पास तिराहे से गिरफ्तार किया। अलीगंज चौकी से मृत्यु की सूचना मिली थी। जनता के लोगों ने अपने नाम और पते नहीं बताए। अलीगंज से केवतरा तिराहे तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा होगा। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त किस दिशा से आ रहा था या किस दिशा में जा रहा था। नक्शा-नजरी देखे बिना, मैं यह नहीं कह सकता कि अभियुक्त फीमा बाल सुधार गृह के मुख्य द्वार से कितनी दूर था। मैं यह नहीं कह सकता कि केवतरा तिराहे से कितनी दूरी पर जीप खड़ी थी। अभियुक्त को उस स्थान से 50-60 कदम की दूरी पर गिरफ्तार किया गया जहां जीप खड़ी थी। 12 बोर के देसी तमंचे और 2 जिंदा तथा खाली कारतूस से संबंधित फर्द इंस्पेक्टर द्वारा बोलकर लिखवाया गया और अभियोजन गवाह-9 द्वारा तैयार किया गया। देसी तमंचे की बैरल में एक जिंदा कारतूस फंसा हुआ मिला और बाईं जेब में लाल रंग का एक खाली कारतूस मिला। फर्द की एक प्रति अभियुक्त को दी गई। पुलिस स्टेशन पहुंचने के दौरान, इसे कहां छिपाया गया था, मैं नहीं कह सकता। उस स्थान पर गवाही देने के लिए कोई गवाह आगे नहीं आया जहां से अभियुक्त फीमा को पकड़ा गया था। आबादी के लोग या राहगीर गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे। उस पहले पर्चे में, अभियोजन गवाह-9 द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि मामले का शिकायतकर्ता कानपुर गया था। वापस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लौटने पर, बयान दर्ज किए जाएंगे और घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा। मोटरसाइकिल घटनास्थल से बरामद नहीं हुई, बल्कि पद्माकर चौराहे से बरामद हुई। जिसका नक्शा-नजरी तैयार नहीं किया गया। चूंकि, मामले का शिकायतकर्ता अपने भाई का इलाज कराने गया था, इसलिए उस दिन घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया गया। मैं राजदूत मोटरसाइकिल के मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि अभियोजन गवाह-9 का स्थानांतरण हो गया है। अभियोजन गवाह-9 ने 24-12-02 तक मामले की विवेचना की। मुझे नहीं पता कि मोटरसाइकिल कहां पंजीकृत है। मैंने 22-12-02 से पहले गवाह अली हुसैन का बयान दर्ज किया। अपने बयान में, उसने विवेचना अधिकारी (अभियोजन गवाह-9) को यह नहीं बताया था कि वे अनाज की कीमतों के बारे में पूछताछ करने के लिए लल्लू की आदत (अनाज कमीशन की दुकान) गए थे। घटनास्थल पर खून से सना हुआ नहीं मिला क्योंकि घटना हुए कई दिन बीत चुके थे। घायल संतोष का बयान 24-12-02 को दर्ज किया गया था।

23. अभियोजन गवाह-10, उप-निरीक्षक, वी.के. श्रीवास्तव, प्रभारी निरीक्षक, ने कहा है कि 25-11-02 को, वह थाना कोतवाली नगर, बांदा में तैनात थे। इस मामले की प्रारंभिक विवेचना उप-निरीक्षक रामशंकर द्वारा की गई थी। उनके स्थानांतरण के बाद, 2-1-2003 को अभियोजन गवाह-10 ने इस मामले की विवेचना शुरू की। 8-1-2003 को, मुझे अभियुक्त फारुख के विरुद्ध वारंट प्राप्त हुआ और मैंने उसे हमीरपुर जेल भेज दिया। 4-2-2003 को, केस डायरी में पंचायतनामा की प्रविष्टि की गई। 16.02.2003 को, बरामद देसी तमंचा और मृतक का खून से सना कुर्ता परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया, और पंचायतनामा के गवाहों—शमीम, अली हुसैन और जब्बार—के बयान दर्ज किए गए। 08.02.2003 को निजामुद्दीन का बयान दर्ज किया गया। 23.02.2003 को महमूद का बयान दर्ज किया गया, और अभियुक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रदर्श क-21 प्रस्तुत किया गया। 10.12.2002 को, अभियोजन गवाह-10, एक जीप और सरकारी चालक राजनारायण मिश्रा के साथ—कांस्टेबल दिनेश, सभाजीत सिंह और प्रताप के साथ—तहसील परिसर के भीतर उपस्थित थे। अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के बाद, वे अलीगंज पुलिस चौकी की ओर बढ़े। एक मुखबिर से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए, उन्हें पता चला कि अभियुक्त फीमा—डिल्हागंज में जमील प्रधान की हत्या में शामिल—केवतरा इलाके से तिराहे होते हुए भूरागढ़ की ओर बढ़ रहा था। उद्देश्य से अवगत कराने के बाद वरिष्ठ उप-निरीक्षक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रामशंकर को आरटी सेट के माध्यम से बुलाया गया; तत्पश्चात, एक-दूसरे की तलाशी लेने के बाद, टीम आगे बढ़ी। उन्होंने केवतरा तिराहे पर जीप खड़ी की और 'बच्चा जेल' क्षेत्र की ओर बढ़े। वहां, मुखबिर ने एक विशिष्ट व्यक्ति की ओर इशारा किया, जिसके बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके कब्जे से एक देसी तमंचा तथा कारतूस जब्त किए गए। उस समय शाम का समय था। बरामद तमंचे और कारतूसों को सील कर मुहर लगाई गई। इसके अलावा, जब्ती फर्द वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री रामशंकर को बोलकर लिखवाया गया और वहीं घटनास्थल पर टॉर्च की रोशनी में दर्ज किया गया। सीलबंद बंडल बाद में न्यायालय के समक्ष खोला गया। अंदर, सामग्री में एक 12-बोर का देसी तमंचा, तीन जिंदा 12-बोर कारतूस, एक कारतूस जो आंशिक रूप से खाली था, और फटे हुए कैप वाले दो 12-बोर कारतूस के खोखे (जिससे आवरण का एक हिस्सा जुड़ा हुआ था), साथ ही बिना कैप वाले दो आंशिक रूप से खाली कारतूस के खोखे पाए गए। यह पुष्टि की गई कि तमंचा और कारतूस अभियुक्त से बरामद किए गए थे। जिंदा कारतूसों को भौतिक प्रदर्श 2, 3 और 4 के रूप में चिह्नित किया गया है। इनमें से एक मिसफायर कारतूस है। एक अन्य-आधा भरा हुआ कारतूस-भौतिक प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित है। गवाह ने कहा कि एक खाली कारतूस का खोखा और एक जिंदा कारतूस फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया था। यह संभव है कि, परीक्षण प्रक्रिया के दौरान, विशेषज्ञों ने अपनी प्रक्रियाओं के लिए कारतूसों में से एक का उपयोग किया हो, और बाद में इसे वापस मिलाकर पैकेज को फिर से सील कर दिया हो। वैकल्पिक रूप से, यह कल्पनीय है कि विशेषज्ञों की सुविधा से वस्तुओं को वापस लाते समय एक कारतूस गायब हो गया।

24. प्रति-परीक्षा के दौरान, अभियोजन गवाह-10 ने कहा कि वह बरामदगी के समय उपस्थित सभी कांस्टेबलों के नाम याद नहीं कर पा रहा है। उसने हालांकि कहा कि वह कुछ व्यक्तियों के नाम बता सकता है। गवाह ने कांस्टेबल सभाजीत, कांस्टेबल दिनेश सिंह, कांस्टेबल प्रताप सिंह और वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर के नाम याद किए। उसने कहा कि उसे वहां उपस्थित अन्य लोगों के नाम याद नहीं हैं। वे सीधे अलीगंज से केवतरा तिराहे गए थे। वह उनके पहुंचने का सही समय याद नहीं कर सका। जीप तिराहे पर खड़ी की गई थी, जिसका मुंह पूर्व की ओर कचहरी की तरफ था। जिस स्थान पर अभियुक्त को पकड़ा गया था, वह तिराहे के थोड़ा पश्चिम में, सड़क के एक हिस्से के साथ स्थित है जिसमें थोड़ा घुमाव है। 'बच्चा जेल' तिराहे से लगभग एक फर्लांग

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की दूरी पर स्थित है। अभियुक्त को बच्चा जेल के पास सड़क पर पकड़ा गया था। गवाह बच्चा जेल से उस सटीक दूरी को याद नहीं कर सका जिस पर गिरफ्तारी हुई थी। उसने स्पष्ट किया कि अभियुक्त को बांदा-महोबा रोड पर नहीं पकड़ा गया था; बल्कि, बच्चा जेल रोड महोबा-बांदा रोड से जुड़ता है। बच्चा जेल के सामने के क्षेत्र से हरदौली घाट की ओर जाने वाली एक सड़क भी निकलती है। गवाह यह याद नहीं कर सका कि गिरफ्तारी बच्चा जेल रोड पर हुई थी या हरदौली रोड पर। बच्चा जेल मुख्य सड़क से लगभग एक फर्लांग दूर स्थित है। जिस स्थान पर अभियुक्त को पकड़ा गया था उसके ठीक आस-पास का क्षेत्र आबाद है; विशेष रूप से, आवासीय मकान थोड़ी दूरी पर स्थित हैं—संभवतः 50 गज के दायरे में। कुछ स्थानीय निवासी घटनास्थल पर एकत्र हुए, लेकिन वे आगे आने और गवाह के रूप में काम करने के लिए तैयार नहीं थे। एक कांस्टेबल रोशनी प्रदान करने के लिए टॉर्च का उपयोग कर रहा था; गवाह उस कांस्टेबल का नाम याद नहीं कर सका। वह यह भी याद नहीं कर सका कि खाली कारतूस का खोखा किससे बरामद किया गया था, और न ही वह यह बता सका कि कुल मिलाकर कितने खाली कारतूस के खोखे बरामद हुए। अंत में, उसने कहा कि वह उस विशिष्ट समय को याद नहीं कर सकता जब वे पुलिस स्टेशन लौटे थे, उसने कहा कि वह स्टेशन पर सामान्य डायरी प्रविष्टि देखने के बाद ही वह जानकारी प्रदान कर सकेगा। मुझे याद नहीं है कि देसी तमंचा और कारतूस वाले बंडल पर अभियुक्त के हस्ताक्षर थे या नहीं। मैं यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त ने जब्ती फर्द की प्रति का क्या किया। मुझे याद नहीं है कि अभियोजन गवाह-10 द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था या नहीं। मुझे याद नहीं है कि किस विवेचना अधिकारी ने अभियोजन गवाह-2 उबैद का बयान दर्ज किया था। देसी तमंचा, कारतूस और मृतक के खून से सने कपड़े—जो इस मामले से प्रासंगिक हैं—23.02.2002 को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए थे। शमीम, अली हुसैन और जब्बार के बयान 16.02.2003 को दर्ज किए गए थे। चश्मदीद गवाह उबैद का बयान 02.12.2002 को दोपहर में गोयरा में दर्ज किया गया था। अपने बयान में, उबैद खान (अभियोजन गवाह-1) ने गेहूं की कीमत का उल्लेख नहीं किया; बल्कि, उसने अनाज के प्रचलित भावों के बारे में जानकारी लेकर अनाज मंडी से लौटने की बात कही।

25. अभियोजन गवाह-11, कांस्टेबल सभाजीत सिंह ने अपनी गवाही में कहा कि 10.12.2002 को 'तहसील दिवस' की कार्यवाही समाप्त करने के बाद वह श्री वी.के. श्रीवास्तव (प्रभारी निरीक्षक,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कोतवाली नगर, बांदा), कांस्टेबल दिनेश सिंह, राजभान सिंह और प्रताप सिंह के साथ सरकारी जीप तथा उसके चालक राजनारायण मिश्रा के साथ अलीगंज पुलिस चौकी पहुंचे। वहां उन्हें सूचना मिली कि गोयरा मुंगली के प्रधान जमील की हत्या का अभियुक्त फीमा केवतरा तिराहे से भूरागढ़ की ओर जा रहा है और उसके पास एक देसी तमंचा है। इस गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक ने आरटी सेट के माध्यम से वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर को अलीगंज चौकी पर बुलाया। टीम को उद्देश्य के बारे में जानकारी देने और एक-दूसरे की तलाशी लेने के बाद, वे जीप चलाकर केवतरा तिराहे पर गए; वाहन को वहीं छोड़कर, वे पैदल ही 'बच्चा जेल' की ओर बढ़े। सड़क के पश्चिम में 25 कदम की दूरी पर अभियुक्त को चलते हुए देखा गया। मुखबिर ने उन्हें इशारा किया और फिर चला गया। शाम 7:45 बजे, बच्चा जेल रोड से 25 कदम दूर एक स्थान पर, अभियुक्त फीमा को पकड़ लिया गया। उसके पास से एक 12-बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ, जबकि उसकी पतलून की बाईं जेब से एक इस्तेमाल किया हुआ 12-बोर कारतूस का खोखा और एक जिंदा 12-बोर कारतूस बरामद हुआ। उसने कबूल किया कि 25.12.2002 को घटनास्थल से भागने से पहले जमील प्रधान को गोली मारने और उसकी हत्या करने के लिए उसने इसी तमंचे का इस्तेमाल किया था, और कहा कि इस पुरानी दुश्मनी के कारण वह हमेशा 12-बोर का तमंचा अपने साथ रखता है। टॉर्च की रोशनी में जब्ती फर्द वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर को बोलकर लिखवाया गया। फर्द पर साथ आए पुलिस कर्मियों के साथ-साथ अभियुक्त के हस्ताक्षर भी हैं। बाद में अभियुक्त को जब्त की गई वस्तुओं के साथ पुलिस स्टेशन लाया गया। प्रति-परीक्षा के दौरान उसने बताया कि सरकारी जीप चालक राजनारायण मिश्रा, कांस्टेबल प्रताप सिंह, कांस्टेबल दिनेश सिंह और कांस्टेबल राजभान सिंह ने गवाह के रूप में काम किया था। उसे याद नहीं था कि वे तहसील दिवस की कार्यवाही में कितने बजे तक रुके थे। उसे यह भी याद नहीं था कि वे अलीगंज पुलिस चौकी पर कितने समय तक रुके थे। उसे वह विशिष्ट समय याद नहीं था जिस समय बांदा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक ने वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर को चौकी पर बुलाया था। इसके अलावा, वह वह सही समय नहीं बता सका जिस समय गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। अलीगंज पुलिस चौकी से सार्वजनिक गवाह लाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। मैं यह नहीं बता सकता कि अभियुक्त केवतरा तिराहे से कितनी दूर था। मैं यह नहीं बता सकता कि जब मैंने अभियुक्त को देखा तो वह किस दिशा में था। अभियुक्त फीमा को महोबा-कचहरी रोड पर नहीं पकड़ा गया था। अभियुक्त को जेल के पश्चिम में लगभग 25 कदम की दूरी पर पकड़ा गया था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



हालांकि, उप-निरीक्षक ने दर्ज किया है कि अभियुक्त को महोबा-कचहरी रोड पर पकड़ा गया था; मैं यह नहीं बता सकता कि यह सही है या नहीं। मुझे याद नहीं है कि अभियुक्त किस सड़क पर चल रहा था। कथित रूप से बरामद वस्तुओं वाले बंडल को खोलने और कारतूसों को देखने पर, अभियोजन गवाह-11 सभाजीत सिंह ने कहा कि अभियुक्त से बरामद जिंदा कारतूसों में से एक पर "इंडियन आयुध निर्माणी नंबर 1" का शिलालेख है, जबकि दूसरे पर "इंडियन आयुध निर्माणी नंबर 1" का शिलालेख है। मुझे याद नहीं है कि "इंडियन आयुध निर्माणी नंबर 1" शिलालेख वाले दो कारतूस—जिनमें से एक के आधार पर पिन-मार्क का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई देता है—वास्तव में अभियुक्त से बरामद किए गए थे या नहीं। "के.एफ. स्पेशल रेंज कार्ट्रिज" शिलालेख वाला कारतूस अभियुक्त से बरामद नहीं हुआ था। अभियुक्त फीमा से बरामद दो जिंदा कारतूसों में से—जो वर्तमान में इस गवाह के सामने रखे गए हैं—एक के आधार पर पिन-मार्क का निशान है। बरामदगी फर्द में यह दर्ज नहीं है कि कैप पर "ए.एफ." शिलालेख वाले जिंदा कारतूस अभियुक्त से बरामद किए गए थे, और न ही यह दर्ज है कि अभियुक्त से बरामद इस्तेमाल किए गए कारतूस के खोखे के आधार पर कैप नहीं थी। मैं यह नहीं बता सकता कि बरामदगी फर्द का मसौदा तैयार करने में कितना समय लगा। मुझे वह विशिष्ट समय याद नहीं है जिस समय बरामद वस्तुओं को सील किया गया था। मुझे याद नहीं है कि टॉर्च किसने पकड़ रखी थी। अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद आम जनता का कोई भी व्यक्ति घटनास्थल पर नहीं आया। आस-पास के क्षेत्र के लोग किसी का पक्ष लेने से बचने के लिए गवाही देने नहीं आए।

26. अभियोजन गवाह-12, कांस्टेबल दिनेश सिंह ने अपने बयान में कहा कि 10-12-2002 को प्रभारी निरीक्षक वी.के. श्रीवास्तव, कांस्टेबल सभाजीत सिंह और कांस्टेबल प्रताप सिंह के साथ चालक राजनारायण मिश्रा द्वारा चलाई जा रही सरकारी जीप में तहसील दिवस के लिए आए थे। वहां से जब वे पुलिस चौकी-अलीगंज पहुंचे तो मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि जमील प्रधान की हत्या में वांछित अभियुक्त फीमा हाथ में देसी तमंचा लेकर केवतरा तिराहे से भूरागढ़ की ओर जा रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ उप-निरीक्षक श्री रामशंकर को आर.टी. सेट से बुलाया गया। एक-दूसरे की तलाशी लेने के बाद पुलिसकर्मी मुखबिर के साथ केवतरा तिराहे के लिए रवाना हो गए। उन्होंने वहां अपनी जीप खड़ी की और भूरागढ़ की ओर चल दिए। बाल सुधार गृह (बच्चा जेल) से थोड़ा पहले मुखबिर ने फीमा की ओर इशारा किया और फीमा को 07:45 बजे वहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त ने अपना नाम बताया और उसकी बाईं जेब से एक 12 बोर का देसी तमंचा, 12 बोर के दो कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। तमंचे को खोला गया तो उसमें 12 बोर का एक जिंदा कारतूस मिला। सामग्री को सील कर मुहर लगाई गई और साथ आए कर्मचारी उसे ले गए। प्रति-परीक्षा के दौरान अभियोजन गवाह-12 ने कहा कि उसे याद नहीं है कि वे तहसील में कितने समय तक रुके थे। उसे याद नहीं है कि गुप्त सूचना कितने बजे दी गई थी। उसे याद नहीं है कि वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर कितने बजे आए। उसे याद नहीं है कि रामशंकर के आने से पहले या बाद में इंस्पेक्टर ने उसे गुप्त सूचना के बारे में बताया था या नहीं। उसे याद नहीं है कि तहसील दिवस पर अधिकारी कौन था। उसे याद नहीं है कि वे अलीगंज पुलिस चौकी कितने बजे आए थे। उसे वह समय याद नहीं है जब गुप्त सूचना दी गई थी। उसे याद नहीं है कि रामशंकर कब आए थे। किसी सार्वजनिक गवाह को शामिल करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। उसे याद नहीं है कि वे केवतरा तिराहे कितने बजे आए थे। कलेक्ट्रेट से एक पक्की सड़क पूर्व-पश्चिम महोबा की ओर भी जाती है। इस सड़क की एक शाखा बाल सुधार गृह की ओर जाती है। वहां एक तिराहा बनता है। उसे याद नहीं है कि तिराहे से कितनी दूर जीप खड़ी थी। उसे याद नहीं है कि अभियुक्त को किसने गिरफ्तार किया। फर्द पर हस्ताक्षर लेते समय अभियुक्त को गिरफ्तारी फर्द की प्रति दी गई थी। अभियुक्त ने फर्द फाड़कर फेंक दिया। उसे याद नहीं है कि फटे हुए कागज के टुकड़े एकत्र किए गए थे या नहीं। अभियुक्त के पकड़े जाने के बाद कोई भी गवाही देने नहीं आया।

27. अभियोजन गवाह-13, भगवान दास वर्मा ने शपथ पर कहा कि उन्होंने 10-12-2002 को उप-निरीक्षक की हैसियत से आयुध अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अपराध संख्या 693/2002 की विवेचना अपने हाथ में ली। 11-12-2002 को उन्होंने प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक हेड मोहर्रिर अकील अहमद का चिक, रिपोर्ट और बयान की प्रति दर्ज की। वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर का बयान 13-12-2002 को दर्ज किया गया। कांस्टेबल राजभान, कांस्टेबल सभाजीत सिंह, दिनेश सिंह और कांस्टेबल प्रताप सिंह के बयान भी 13-12-2002 को दर्ज किए गए। वरिष्ठ उप-निरीक्षक रामशंकर की निशानदेही पर नजरी नक्शा, प्रदर्श क-23 तैयार किया गया। 15-12-02 को मामले के शिकायतकर्ता वी.के. श्रीवास्तव का बयान दर्ज किया गया। आरोप-पत्र, प्रदर्श क-24 प्रस्तुत किया गया। तत्कालीन जिलाधिकारी बांदा से अभियोजन के लिए स्वीकृति, प्रदर्श क-25 प्राप्त की

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गई। कलेक्ट्रेट से महोबा जाने वाली सड़क पूर्व-पश्चिम की ओर जाती है। दक्षिण में घटना का स्थान 'सी' दिखाया गया है। जिस स्थान से अभियुक्त को पकड़ा गया, उसे 'सी' के रूप में दिखाया गया है। गवाह सभाजीत सिंह ने यह उल्लेख नहीं किया कि अभियुक्त को फर्द की एक प्रति सौंपी गई थी जिसे अभियुक्त ने फाड़कर फेंक दिया था। उसने बैरल के अंदर मिले कारतूस का उल्लेख किया, लेकिन किसी जिंदा कारतूस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

28. तथ्य के गवाहों, अर्थात् अभियोजन गवाह-1 और अभियोजन गवाह-2 के बयानों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वे घटना के चश्मदीद गवाह हैं। उन्होंने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर दिया। उनके बयानों में ऐसा कुछ नहीं है जो हमें उनकी गवाही पर अविश्वास करने के लिए विवश कर सके। उन्होंने घटना का सजीव विवरण दिया है जैसा उन्होंने देखा था। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियोजन गवाह-1 द्वारा शाम 07:45 बजे दर्ज कराई गई थी। जब घटना दोपहर लगभग 02:00 से 02:15 बजे के बीच हुई थी। मृतक शाम 4:30 बजे तक अस्पताल में जीवित था, और कानपुर में उसकी मृत्यु के पश्चात पुलिस स्टेशन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। घटना दिनदहाड़े की गई थी और अभियुक्त की पहचान या घटनास्थल के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इस मामले के विवेचना अधिकारी, अभियोजन गवाह-9 ने विचारण न्यायालय के समक्ष विवेचना का अभिलेख साबित किया। उसने अपीलकर्ता फीमा की गिरफ्तारी के स्थान और तरीके को भी साबित किया है। अपीलकर्ता फीमा की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से देसी तमंचा बरामद किया गया था। उसने स्वीकार किया कि पुरानी दुश्मनी के कारण मृतक की हत्या का अपराध करने के बाद उसने देसी तमंचा रखा था। अभियोजन के गवाह अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहे। अभियुक्तों ने केवल यह बचाव रखा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और पूर्व के सत्र विचारणों के कुछ निर्णयों के रूप में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए, लेकिन बचाव पक्ष इसकी प्रासंगिकता साबित नहीं कर सका।

29. हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जाती है।

30. आपराधिक अपीलें गुण-दोष रहित हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



31. अपीलकर्ता, अर्थात् फारूख और फीमा, जमानत पर हैं। उनके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूतियों को उन्मोचित किया जाता है।

32. उन्हें तत्काल आत्मसमर्पण करने और शेष सजा काटने का निर्देश दिया जाता है।

33. यदि वे आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो संबंधित न्यायालय अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए सभी कठोर उपाय करेगा।

34. अपीलें **खारिज** की जाती हैं।

35. विचारण न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ 10 दिनों के भीतर विचारण न्यायालय को भेजा जाए।

**8 जून, 2026**

अभिषेक

(न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”